(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 67 **नई दिल्ली** 19 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963(1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा न्हावा शेवा इन्टरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल लिमिटेड के दरमान से संबंधित दिनांक 22 जुलाई 2005 के अपने पिछले आदेश की, संलग्न आदेशानुसार, समीक्षा करता है।

(अ.ल.बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /15/2005 - एनएसआईसीटी

आ दे श

(मार्च 2006 के 7 वें दिन पारित)

न्हावा शेवा इन्टरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) के दरमान से संबंधित दिनांक 22 जुलाई 2005 के आदेश की, जो भारत के राजपत्र में 3 अगस्त 2005 को प्रकाशित हुआ था, समीक्षा करने के बाद प्रशुल्क का निर्धारण करते हुए यह आदेश जारी किया जाता है। 22 जुलाई 2005 का आदेश इस तथ्य के लिए आवश्यक हो गया था कि पिछले प्रशुल्क निर्धारण के लिए इस प्राधिकरण ने, एनएसआईसीटी द्वारा इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत यातायात पर आधारित, अनुमानित राजस्व पर विचार किया था और यह पाया गया था कि उस अवधि में देखे गए वास्तविक यातायात की तुलना में अनुमान बहुत कम था । तथापि, बार-बार अनुरोधों के बाद भी, पिछली समीक्षा के समय एनएसआईसीटी ने कोई डाटा या सूचना उपलब्ध नहीं करवाई और इसलिए यह समीक्षा इस प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना, जेएनपीटी से प्राप्त किए गए उपयुक्त विवरण और 2000 में प्रशुल्क निर्धारण के समय, पिछली बार एनएसआईसीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर की गई थी। वर्ष 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 के लिए लागत स्थितियों का विश्लेषण ने, नियोजित पूंजी पर अनुमेय प्रतिलाभ की वसूली के अतिरिक्त 30.20% औसत राजस्व अधिशेष दिखाया था । कथित आदेश में वर्णित कारणों से, इस प्राधिकरण ने, पिछली दरों में लगभग 12.85% की कमी करते हुए प्रभावशाली ढंग से संशोधित प्रशुल्क का निर्धारण किया था।

2. इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2000 में, जब एनएसआईसीटी के लिए प्रशुल्क निर्धारित किया गया था, भूस्वामी पत्तन के रूप में जेएनपीटी को देय समस्त रायल्टी, जेएनपीटी और एनएसआईसीटी के बीच बीओटी अनुबंध के अन्तर्गत की अनुमेय व्ययों के रूप में अनुमति दी गई थी, चूंकि समीक्षा का उद्देश्य जैसाकि प्राधिकरण द्वारा उस समय नोटिस में बताया गया था एनएसआईसीटी द्वारा इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अनुमानित यातायात और वास्तविक यातायात के संदर्भ से समीक्षा भर करना था, यह प्रधिकरण 2005 में की गई समीक्षा में रायल्टी में हस्तक्षेप करने से दूर रहा। यह पुन: दोहराया जाता है कि नवम्बर 2000 में पारित इस प्राधिकरण के आदेश में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि प्रशुल्क का निर्धारण उपलब्ध करवाए गए अनुमानों के आधार पर था और प्रशुल्क को जब कभी वास्तविक डाटा उपलब्ध हो, समायोजित किया जा सकेगा। मूल आदेश में सन्निहित अपवाद के ही अनुसरण में पिछली समीक्षा की गई थी और रायल्टी वाले पहलू पर विचार करने से बचा गया।

3. पोत परिवहन, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) ने अपने पत्र सं0 पीआर-14019/38/2003-पीजी दिनांक 22 नवम्बर 2005 के द्वारा इस प्राधिकरण से, एनएसआईसीटी के मामले में, लागत की एक मद के रूप में पूरी रायल्टी की अनुमति देने पर स्पष्टीकरण मांगा था, तत्पश्चात मंत्रालय ने यह इंगित किया कि एनएसआईसीटी मामले में टीएएमपी के निर्णय से यह आभास होता है कि संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों से हटकर चला गया था और एक अन्य निजी टर्मिनल प्रचालक द्वारा इसे एक पूर्व उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया था।

4. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्राधिकरण का यह आशय नहीं था कि मार्गदर्शियों से अलग चला जाए और केवल एनएसआईसीटी को, रायल्टी अनुमेय व्यय मानने की अनुमति प्रदान की जाए। परिस्थितिवश, इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था कि नोटिस, सुनवाई आदि समुचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद, नए मार्गदर्शियों के संदर्भ से प्रशुल्क की समीक्षा की जाए।

5. हमारे पत्र दिनांक 14 नवम्बर 2005 द्वारा एनएसआईसीटी को सूचित किया गया था कि वह एनएसआईसीटी के प्रशुल्क की एक पक्षीय समीक्षा में एनएसआईसीटी द्वारा देय समस्त रायल्टी राशि को वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 वर्षों के लिए लागत रूप में लिए जाने की स्वीकार्यता तक 22 जुलाई 2005 के आदेश की समीक्षा पर अपनी राय दे। एनएसआईसीटी का उत्तर संक्षेप में, निम्नानुसार है :-

(i) आदेश एक पक्षीय समीक्षा का विषय नहीं हो सकता, आदेश की समीक्षा का एकमात्र संभावित प्रयोजन, प्रशुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में एनएसआईसीटी को अनमत लागत के एक छोटे भाग को पलटना लगता है।

(ii) महापत्तन न्यास अधिनियम, टीएएमपी द्वारा अपने ही आदेश की एक पक्षीय समीक्षा करने हेतु स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं करता। केवल संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी ही नीति के प्रश्नों पर निदेश जारी करने के लिए सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तदनुसार धारा 3.3.2 के प्रावधानों के अनुसार, जो टीएएमपी को एक पक्षीय समीक्षा आरंभ करने की अनुमति देता है, महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों के पूरी तरह बाहर है । अतएव, टीएएमपी द्वारा अपने ही आदेश की एक पक्षीय समीक्षा विधि के प्राधिकार के बिना है और बिना अधिकार क्षेत्र के है।

(iii) जुलाई 2005 का आदेश पारित होने से पहले, एनएसआईसीटी ने दिनांक 30 जून 2005 के अपने पत्र के द्वारा विस्तार से यह समझाया था कि क्यों न इसके प्रशुल्क में वृदि्ध की जाए। एनएसआईसीटी द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करके और जुलाई 2005 के अपने आदेश के पैरा 10(ix) (ग) में उन्हीं कारणों को रिकार्ड करते हुए टीएएमपी ने समस्त रायल्टी को लागत के रूप में अनुमति प्रदान की है। स्पष्ट रूप से, आदेश एनएसआईसीटी द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान पूर्वक विचार करके और मार्गदर्शियों के अनुरूप व्यापक विचार विमर्श के बाद यह आदेश पारित किया गया है और अधिक समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जुलाई 2005 के आदेश की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं तैयार किया गया है।

(iv) संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.8.1 (रायल्टी राजस्व भाग की लागत के रूप में स्वीकार्यता के बारे में) पहले से ही अस्तित्व में थी और टीएएमपी द्वारा जुलाई 2005 के आदेश में उस पर पूर्ण रूपेण विचार किया गया था। धारा 2.8.1 की कथित धारा में कोई संशोधन नहीं हुआ है। जुलाई 2005 के आदेश ने विशिष्ट आधार पर समस्त रायल्टी राशि को लागत रूप में अनुमत किया था और वह स्वयं प्रशुल्क की एक पक्षीय समीक्षा का मामला था, वर्तमान प्रक्रिया का प्रयोजन वही है, यदि एक पक्षीय समीक्षा ही आधार-मात्र है और जुलाई में कटौती अनुमत करने का कारण है, तो स्थिति में किसी अन्य परिवर्तन की अनुपस्थिति में पांच माह के बाद भी वही कारण आवश्यक रूप से लागू होना चाहिए।

(v) संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 3.1.8 (प्रशुल्क वैधता अवधि के बारे में) विशिष्ट रूप से प्रावधान करती है कि एक बार निर्धारित किया गया प्रशुल्क 3 वर्ष तक लागू रहेगी और उक्त अवधि में कोई भी समीक्षा, मार्गदर्शियों द्वारा टीएएमपी में निहित शक्तियों के बाहर होगी।

(vi) दिनांक 22 जुलाई 2005 के आदेश में यह संशोधन करने को टीएएमपी कोई सांविधिक शक्ति प्राप्त नहीं है, जो करने की अनुमति मांगी जा रही है, वह मुश्किल से पांच माह पहले पारित वर्तमान आदेश की न केवल समीक्षा करना, बल्कि उसमें भौतिक रूप से संशोधन करना है। यह अधिकार क्षेत्र के बाहर है और प्रस्तावित समीक्षा विधि के प्राधिकार के बाहर है, न तो सरकार को न ही टीएएमपी को, मार्गदर्शियों में निर्धारित 3 वर्ष की सुनिश्चित अवधि से पहले तात्कालिक आधार पर इस प्रशुल्क आदेश में अधिनियम के अन्तर्गत संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है । यदि यह मान भी लिया जाए कि टीएएमपी को आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है, तो भी कोई सुपरिणाम देने हेतु न तो परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है और न ही संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 3.3.2 के अन्तर्गत पर्याप्त कारण ही हैं।

उपर्युक्त को देखते हुए एनएसआईसीटी ने इस प्रधिकरण से जुलाई 2005 के आदेश की समीक्षा के लिए कोई कदम न उठाने का अनुरोध किया है।

6. उपर्युक्त उत्तर प्राप्त करने के बाद प्रभावित पक्ष एनएसआईसीटी को सुनवाई का अवसर देने हेतु 13 जनवरी 2006 की तिथि निर्धारित की गई थी । एनएसआईसीटी उपस्थित हुआ और उसने दिनांक 9 जनवरी 2006 के अपने उपरोक्त पत्र में सन्निहित तर्को पर पुन: जोर दिया और आग्रह का विषय था कि इस प्राधिकरण को अपने ही आदेश की समीक्षा करने का कोई सांविधिक अधिकार नहीं है और संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों पर भारत सरकार द्वारा जारी नीति निर्देश में कोई विधिक प्रावधान नहीं था, तथापि एनएसआईसीटी ने मुद्दे के पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किए । जब एक और अवसर दिया गया तो एनएसआईसीटी ने सूचित किया कि जो कुछ उसने दिनांक 9 जनवरी 2006 के अपने पत्र में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दिया है, उसके अतिरिक्त उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं है।

7. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि समीक्षा करने के लिए इस प्राधिकरण की सांविधिक शक्तियों के बारे में समान तर्क पिछली बार भी, जिस पर 22 जुलाई 2005 के आदेश में कार्रवाई की गई थी, उठाए गए थे, जैसाकि पिछले आदेश में कायम रखा गया था, अन्य बातों के साथ, ''दर निर्धारित करने की शक्ति में समीक्षा करने की शक्ति भी शामिल है'' यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रशुल्क प्रस्तुत डाटा पर आधारित है और यदि ये डाटा ही ठीक नहीं है तो समीक्षा का अधिकार उसमें अन्तर्निहित है । यदि किसी कारण से प्रधिकरण द्वारा कोई त्रुटि हो गई है तो मार्गदर्शियों का पूरी तरह अनुपालन करने के लिए प्रशुल्क की भी समीक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार से पत्तनों के लिए भी यह खुला है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर वे समीक्षा के लिए प्राधिकरण के पास आ सकते हैं।

8. एनएसआईसीटी का वह दृष्टिकोण जिसका गलत अर्थ लगाया गया, यह था, कि एनएसआईसीटी द्वारा की गई सभी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद ही जुलाई 2005 का आदेश पारित किया गया था, कि केवल उसी आधार पर प्राधिकरण ने अदा की गई सम्पूर्ण रायल्टी को लागत के रूप में अनुमत किया था, कि व्यापक विचार विमर्श के बाद ही आदेश पारित किया गया था और इसीलिए समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं हैं । जैसाकि पहले ही ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, जुलाई 2005 का आदेश पारित करते समय रायल्टी को अनुमत करने पर विचार करने का प्रश्न, इस सामान्य कारण से, कोई मुद्दा तक नहीं था, कि समीक्षा, दृढ़तापूर्वक अनुमानित लागत और वास्तविक लागत के बिन्दु पर की गई थी और इसीलिए, एनएसआईसीटी को विशिष्ट नोटिस दिए बिना न तो प्राधिकरण ने रायल्टी के मुद्दे पर विचार किया और न ही वह ऐसा कर ही सकती थी।

9. एनएसआईसीटी ने आगे दावा किया है कि पिछला आदेश सभी आवश्यक डाटा पर विचार विमर्श करने के बाद ही पारित किया गया था, इसलिए, यह समीक्षा अनावश्यक थी । जैसाकि ऊपर पहले ही कहा जा चुका है, वर्तमान समीक्षा केवल रायल्टी तक ही सीमित है, जो पिछले आदेश में विचारणीय विषय-वस्तु नहीं था । वास्तविकता तो यह है कि पिछले आदेश में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया था कि प्राधिकरण रायल्टी के विषय में यथास्थिति बनाए रख रहा है, और पूरी रायल्टी को व्यय के रूप में अनुमत किया जा रहा था, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि प्रासंगिक समय पर विचार किए जाने के लिए वह कोई मुद्दा ही नहीं था।

10. एनएसआईसीटी ने धारा 111 और सरकार द्वारा दिए गए निदेश का संदर्भ दिया है, प्राधिकरण यह स्पष्ट करता है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई निदेश नहीं है और यह प्राधिकरण नए मार्गदर्शियों से अपनी अनुरूपता व्यक्त करते हुए अपने पिछले आदेश की एक पक्षीय समीक्षा कर रहा है क्योंकि संबद्ध लोगों के बीच यह गलतफहमी हो रही है कि टीएएमपी अपने ही मार्गदर्शियों का पालन नहीं कर रहा है, एनएसआईसीटी प्रस्तुत करता है कि मार्गदर्शियों की धारा 3.3.2 भारत सरकार द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र तैयार और अनुमोदित की गई है, क्योंकि अधिनियम में समीक्षा के लिए प्राधिकार प्रदान नहीं किया गया था इसलिए यह मार्गदर्शियों में भी प्रदान नहीं किया जा सकता । हम इस बिन्दु पर पहले भी विचार विमर्श कर

चुके हैं कि प्रशुल्क निर्धारित करने का अधिकार, समीक्षा करने का अधिकार भी है, और उसी के अनुसरण में, यह मार्गदर्शियों में प्रदान किया गया था, और जो कुछ सरकार ने मार्गदर्शियों में निदेशित किया है वह यह है कि इस प्रकार की समीक्षा एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में, अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार की नीति निर्माता शक्तियों पर कोई बंधन नहीं हो सकता।

11. रायल्टी के बारे में प्राधिकरण ने तथ्यों और परिस्थितियों को नोट किया है जिनकी वजह से मार्गदर्शियों में रायल्टी के बारे में प्रावधान सम्मिलित किया गया। चेन्नई कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीएल) ने इस प्राधिकरण और भारत सरकार के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अन्य बातों के साथ, मार्गदर्शियों के अभाव में इस प्राधिकरण को संविधान से ऊपर करने वाले प्रावधानों का विरोध करते हुए, और यह मांग करते हुए कि जब चेन्नई पत्तन के लिए सीसीटीएल ने बोली लगाई थी तब बोली की शर्तों में वह प्रावधान कि प्रशुल्क के बराबर आने के लिए रायल्टी व्यय के रूप मे अनुमत नहीं की जाएगी, नहीं था; और कि इस प्रकार की शर्त केवल बाद की बोलियों के लिए लगाई गई थी; और कि सीसीटीएल को सम्पूर्ण रायल्टी अनुमेय व्यय के रूप में अनुमत की जानी चाहिए, एक रिट याचिका दायर की थी। इस मामले को निपटाने के लिए सीसीटीएल के अनुरोध पर माननीय पोत परिवहन मंत्री जी के कक्ष में एक बैठक रखी गई थी, उक्त बैठक में इस प्राधिकरण के अध्यक्ष,सीसीटीएल के अध्यक्ष जो उस समय एनएसआईसीटी के तात्कालिक अध्यक्ष भी थे, सीसीटीएल के वकील और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे, उस बैठक में पीएसएएसआईसीएएल भी उपस्थित था जिसके पास तूतिकोरिन पत्तन न्यास का अनुबंध था और जिसने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रट याचिका दायर कर रखी थी। 5 अगस्त 2003 को हुई इस बैठक में विस्तार से बताया गया था कि सरकार की नीति के अनुसार पत्तनों ने महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 के अधीन, बर्थों के प्रचालन और प्रबंधन के लिए उन बोलीदाताओं को ठेके (अनुबंध) प्रदान किए जिन्होंने उच्चतम रायल्टी / राजस्व भाग देने का प्रस्ताव किया । यदि सफल बोलीदाता को, तत्पश्चात इस प्राधिकरण द्वारा उस रायल्टी को प्रशुल्क निर्धारण में अनुमेय व्यय के रूप में पुन: प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है तो व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह होगा कि बोलीदाता वह रायल्टी, व्यापार में से उसके द्वारा अर्जित राजस्व में से ही भुगतान कर रहा है ।

12. लम्बे तर्क-वितर्क के बाद उपस्थित सभी पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि यही उचित और न्यायसंगत होगा कि उन पत्तनों के लिए जहाँ अनुबंध सरकार की नीति घोषित होने से पहले प्रदान कर दिए गए थे वहां पत्तनों के बोलीदाताओं को अगली उच्चतम बोली की सीमा तक रायल्टी / राजस्व भाग को (अनुमेय व्यय) मानने की अनुमति होगी, यदि उन्हें उस मद में कोई हानि होती है और उन बोलीदाताओं को केवल दूसरी उच्चतम बोली से अधिक रायल्टी / राजस्व भाग के अतिरिक्त भाग को छोड़ना होगा । इन शर्तों और निबंधनों के अनुसार सीसीटीएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में से अपनी रिट याचिका वापिस ले ली और उसने दूसरे उच्चतम बोलीदाता के बराबर राजस्व भाग की अनुमति देते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया । यद्यपि सीसीटीएल और एनएसआईसीटी का अस्तित्व अलग-अलग है, मूल रूप से इन दोनों का स्वामित्व और नियंत्रण पी एंड ओ पोर्ट्स के पास ही है । उस समय भी और आज भी इनका अध्यक्ष साझा है । इन परिस्थितियों में एनएसआईसीटी के लिए मार्गदर्शियों को चुनोती देने या ''रायल्टी'' के मुद्दे पर बहस करने में अब बहुत विलम्ब हो चुका है । मार्गदर्शियों में रायल्टी के बारे में प्रावधानों की यही पृष्ठभूमि थी ।

13. उपर्युक्त आधार पर इस प्राधिकरण ने, जेएनपीटी से उसके पत्र सं. पीपीडी/सीएम/टीएएमपी/2005/1352, दिनांक 20 दिसम्बर 2005 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर, दूसरी उच्चतम बोली के बराबर केवल रायल्टी को, गणनाओं में अनुमत करने का निर्णय किया है ।

14. किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए और इस प्राधिकरण के आशय को ठीक-ठीक प्रतिबिम्बित करने के लिए संशोधित मार्गदर्शियों के अन्तर्गत अनुमेय सीमा तक रायल्टी पर विचार करके वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 के लिए एनएसआईसीटी की आुमानित लागत का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है ।

15. प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित मार्गदर्शियों के अनुसार 29 जुलाई 2003 से पहले निर्णित बोलियों के मामले में, प्रशुल्क की गणना में, प्रशुल्क निर्धारण हेतु भूस्वामी पत्तन को निजी प्रचालक द्वारा देय, अगले उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत अधिकतम राशि के बराबर, रायल्टी / राजस्व भाग को लागत के रूप में शामिल करना चाहिए ताकि इस मद के कारण, जिसे गणना में शामिल नहीं किया जा रहा हो, होने वाली हानि से बचा जा सके । एनएसआईसीटी और जेएनपीटी के बीच लाइसैंस लाइसैंस अनुबंध पर 3 जुलाई 1997 को हस्ताक्षर किए गए थे ।

16. रायल्टी मॉडल में बोली-मूल्य आरम्भिक भुगतान और रायल्टी भुगतान से सम्बद्ध होते हैं । चूंकि बोली मूल्य एक से अधिक हैं और सफल बोलीदाता का चयन एनपीवी आकलन के आधार पर किया गया था, दूसरे उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत (राशि) तक संगणना में विचार किए जाने के लिए रायल्टी सुनिश्चित करने हेतु इसी प्रकार के विश्लेषण का अनुसरण किया जाना है । इस मामले में दूसरे उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व-क्रम का एनपीवी, कथित रूप से 163.616 करोड़ रूपये है जो एनएसआईसीटी की बोली के एनपीवी का 69.50% पाया गया है । इसका अर्थ हुआ कि एनएसआईसीटी द्वारा उद्धृत रायल्टी के अधिकतम 69.50% को, संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुसार ; प्रशुल्क संगणन के लिए स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते, यदि इस सीमा तक इसे नहीं अनुमत किया गया तो एनएसआईसीटी को हानि होगी ।

17. सीसीटीएल से संबंधित एक ऐसे ही मामले में, राजस्व और स्वीकार्य लागत और प्रतिलाभ के बीच अन्तर दूर करने के लिए हानि को इस प्रयोजन से लिया गया था । इस मामले में, कोई स्पष्ट हानि नहीं दिखाई देगी । लागत विवरणी में दर्शाया गया अधिशेष जैसाकि दिनांक 22 जुलाई 2005 के आदेश के पैराग्राफ 10 (xvi) के अन्तर्गत रिकार्ड है, अगले चक्र के लिए प्रशुल्क के समायोजन की शर्त के कारण, निजी टर्मिनल प्रचालक द्वारा स्थायी आधार पर नहीं रखा जाना है ।

18. तद्नुसार, 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 इन 3 वर्षों के लिए एनएसआईसीटी द्वारा देय रायल्टी राशि, प्रशुल्क संगणन प्रयोजन से 69.50% ही ली जानी है । ऊपर किए गए विचार विमर्श के प्रकाश में, पिछली प्रक्रियाओं में विचारित लागत विवरणी को संशोधित कर दिया गया है । संशोधित लागत विवरणी संलग्नक के रूप में संलग्न है । विवरणी द्वारा उद्घाटित परिणाम, संक्षेप में नीचे दी गई सारणी में दर्शाए गए हैं:

क्रम सं.	वर्ष	अधिशेष (+) /घाटा (-) (रुपये लाखों में)	अधिशेष (+) /घाटा (-) (प्रचालन आय का %)
(1)	2005-2006	16,808/-	44.3
(2)	2006-2007	14,725/-	38.8
(3)	2007-2008	12,201/-	32.1
(4)	वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक के लिए प्रचालन आय के % के रूप में औसत अधिशेष		38.4

उपरोक्त सारणी में देखा जा सकता है कि प्रचालन आय की प्रतिशतता के रूप में विचाराधीन तीन वर्षों के लिए औसत शुध्द अधिशेष, इससे पिछले औसत अधिशेष लगभग 30% की तुलना में 38.4% है ।

19. इस संदर्भ में यहाँ यह नोट करना उचित होगा कि ऊपर चर्चित अधिशेष स्थिति वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2007-2008 तक के तीन वर्षों की अवधि के संबंध में है । चूंकि किसी भी प्रशुल्क समायोजन का प्रभाव केवल भविष्य में ही होगा और वर्ष 2005-2006 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अगले दो वर्षों के लिए प्रासंगिक शुद्ध अधिशेष स्थिति, अगले दो वर्षों अर्थात 2006-2007 और 2007-2008 के लिए प्रासंगिक प्रशुल्क में आरम्भ की जानी है ।

20. वर्ष 2000 में अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 के लिए कुल अधिशेष स्थिति 26,926 लाख रूपये है । जुलाई 2005 में आदेशित प्रशुल्क कमी का प्रभाव 11258 लाख रुपये रहने का अनुमान है । यह उल्लेखनीय है कि चूंकि एक पक्षीय समीक्षा लागत और राजस्व अनुमानों के मोटे अनुमानों और बाह्य निष्कर्षों के आधार पर की गई थी जुलाई 2005 के आदेश में अधिशेष स्थिति की पूर्ण सीमा तक प्रशुल्क में कमी समाहित नहीं थी ।

इस कारण, वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक तीन वर्षों के लिए लगभग 19857 लाख रुपये का अधिशेष, जुलाई 2005 के आदेश के पैरा 10(xvi) में निहित शर्त के अन्तर्गत असमायोजित छोड़ दिया गया था । वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-2008 के लिए अधिशेष की तद्‌नुरूप राशि, जो 8414 लाख रुपये होती है, को उन्हीं शर्तों के अधीन असमायोजित छोड़ना न्याय संगत लगता है । इसका अर्थ हुआ कि वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 के लिए लगभग 7253 लाख रुपये का शुद्ध अधिशेष समायोजन के लिए उपलब्ध है । इस शुद्ध अधिशेष को समायोजित करने के लिए, जुलाई 2005 में अनुमोदित प्रशुल्क को भावी प्रभाव से लगभग 12% घटाने की आवश्यकता है ।

21.1 परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से यह प्राधिकरण, 3 अगस्त 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित एनएसआईसीटी के दरमान को 12% घटाने का निर्णय करता है ।

21.2. एनएसआईसीटी को अपना दरमान तद्‌नुसार सुधारने का निदेश दिया जाता है ।

21.3. संशोधित दरमान, इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से 30 दिन बीतने के बाद प्रभाव में आएगा और 22 जुलाई 2005 के पिछले आदेश में प्रशुल्क की वैधता अवधि तक वैध रहेगा ।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष